UPKS010030002026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय– द्वितीय, कौशाम्बी।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 485 /2026

जुगराज सिंह पुत्र स्व० मानिक लाल निवासी ग्राम पथरहा, थाना संदीपनघाट, जनपद कौशाम्बी।
... अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार ... अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०– 251/2025
धारा–80(2), 85 बी.एन.एस
एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट।
थाना–संदीपनघाट, जनपद कौशाम्बी।

10.08.2026

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **जुगराज सिंह** द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 251/2025 धारा – 80(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट थाना संदीपनघाट, जनपद कौशाम्बी के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व० चन्द्रपाल सिंह निवासी मुबारकपुर मजरा सुन्दरनगर थाना बहारिया जनपद प्रयागराज का स्थायी निवासी है। उसकी पुत्री संजना देवी उम्र लगभग 22 वर्ष की शादी दिनांक 16–02–2025 को सविनय प्रताप सिंह पुत्र जगराज सिंह निवासी ग्राम पथरहा मजरा आदमपुर नादिर अली, थाना संदीपनघाट, जनपद कौशाम्बी के साथ पूरे हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी, पुत्री के शादी के कुछ दिन बाद से उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में नगद व मोटरसाइकिल व भैंस की मांग बराबर करते चले आ रहे थे। पुत्री के विरोध करने पर उसके ससुरालीजन गाली गलौज व मार पीट कर प्रताड़ित करते थे। दिनांक 06–11–2025 को समय करीब सुबह 6.30 बजे जब उसकी पुत्री ने वादी मुकदमा की छोटी बेटी काजल सिंह व मां गुड्डा देवी से मोबाइल फोन के जरिये बात की और बताया कि उसके ससुर जुगराज सिंह व देवर अमन सिंह व

Digitally signed by PURNIMA PRANJAL
Date: 2026.08.09 16:50:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पति सविनय सिंह व सास गाली गलौज व मारपीट कर रहे है, इसके बाद फोन कट गया। पुनः समय करीब 9.30 बजे वादी मुकदमा के समधी जुगराज सिंह द्वारा फोन करके बताया गया कि आपकी लड़की ने फांसी लगा लिया है। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी लड़की को दहेज के लिए हत्या उसके ससुरालीजन द्वारा की गयी है। हम लोगों के बेटी के ससुराल पहुंचने पर उसके परिवार वाले घर से फरार थे।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है । उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पंचायत नामा की कार्यवाही कितने बजे प्रारम्भ की गयी पंचायत नामें में लिखा ही नही लेकिन पंचायतनामा की कार्यवाही 06.11.2025 को समय 16:14 बजे समाप्त की जानी लिखा गया है। पंचायतनामा के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि फांसी लगने के कारण मृतिका की मृत्यु हुयी है। मृतिका के परिवार के सभी लोग पंचायतनामा के गवाह है। वादी मुकदमा ओम प्रकाश भी पंचायतनामा का गवाह है। रायपंचान में नियुक्त पंचानो ने नायब तहसीलदार/ मजिस्ट्रेट के समक्ष सुसरालीजनों द्वारा दहेज मांगना व प्रताड़ित करने की बात नही बतायी। मृतिका के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 07.11.2025 को समय 02:30 P.M. पर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतिका की मृत्यु फांसी लगाने पर दम घुटने के कारण होना डाक्टर ने लिखा भी है। इससे स्वयं साबित है, मृत्यु के पूर्व फांसी लगायी जिससे उसकी मृत्यु हुई। मृतिका सादे कपड़े आभूषण कंगन आदि पहने थी किसी भी प्रकार का हिंसा का लक्षण न तो पंचायतनामा में वर्णित चोटों में भी पाया गया और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिंसा के लक्षण पाये गये। विवेचक द्वारा नक्शा घटना स्थल का दिनांक 06.11.2025 को बनाया गया जिसमें लिखा गया है पंखा पर मृतिका को मारकर फांसी पर लटकाया गया है। लटकाने वालों का किसी का नाम नही लिखा, मारकर लटकाने वाली बात वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से झूठा साबित हो जाता है। क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर ने लिखा है कि मृतिका की मृत्यु एन्टीमार्टम हैंगिंग से हुयी है। इससे हत्या करके उसको लटकाया नही गया शव पर लिगेचर मार्क 31X2 सेन्टीमीटर का पाया गया, गले में 2 सेन्टीमीटर का गैप पाया गया तथा हाईडबोन टूटी नही पायी गयी। लिगेचर मार्क को काटने पर सूखा, सफेद, कड़ा और ग्रिसरीन पाया गया इन्ही सब लक्षणों की वजह से हैगिंग की बात लिखी है, हत्या किये जाने की बात झूठी साबित होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि शादी के बाद से नगद मोटरसाइकिल व भैंस की मांग करते थे, जिसका विरोध प्रार्थी की पुत्री करती थी। दहेज मांगने की कोई तिथि

नही बतायी गयी कि दहेज कब मांगा गया, यह कहा गया कि दहेज में नगद मांग रहे थे, नगद क्या मांग रहे थे न रूपया लिखा गया न पैसा लिखा गया, दहेज मांगने की बात मुकदमें को रंगत देने के लिए लिख दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 06.11.2025 को सुबह 06:30 बजे वादी मुकदमा की छोटी बेटी काजल व मां गुड्डा देवी से मोबाइल से बताया कि ससुर, देवर, पति व सास मारपीट कर रहे हैं, विवेचक ने दौरान विवेचना किसी भी फोन का सीडियार नही निकाला, इससे यह साबित नही हो रहा कि घटना वाले दिन सुबह 06:30 बजे मृतिका इन लोगों से बात ही किया हो। विवेचक ने वादी मुकदमा ओमप्रकाश सिंह जो मृतिका के पिता है उन्होनें अपने 161 के बयान में कहा है कि दामाद अपने परिवार के साथ दहेज के लिए मेरी पुत्री संजना को मारकर लटका दिया है। किसने फांसी पर लटकाया नाम नही लिखा इस प्रकार से प्रार्थी के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा ही नही। मृतिका की मां गुड्डा देवी का बयान दिनांक 06.11.2025 को विवेचक ने लिया इस बयान में भी कितना पैसा मांगते थे, यह नही लिखा। इस गवाह ने दामाद से कई बार बात करने की बात बतायी है, इस गवाह से सास से ससुर से देवर से कभी दहेज के विषय में बातें हुयी इस बात का बयान नही दिया। इस गवाह ने भी केवल दामाद के लिए हत्या करने व प्रताड़ित करने की बात बताया है और कुछ नही बताया। इस गवाह के अनुसार इसने फोन पर घटना के पहले बात किया, इस गवाह ने यह नही बताया किसके फोन से किसने बात किया और मोबाइल नम्बर भी नही बताया। विवेचक ने दिनांक 29.11.2025 को पर्चा नं0 10 में कुमारी काजल देवी का बयान घटना के 23 दिन बाद विलम्ब से दर्ज किया। इस गवाह ने कहा कि मेरे चाचा की लड़की रूचि सिंह जो मेरे घर आयी थी उसके फोन पर मेरे बहन का फोन आया था तो मैनें बात किया तो बतायी कि मेरे पति, सास, ससुर अतिरिक्त दहेज के लिए गाली–गलौज मारपीट कर रहे थे, इसने भी कोई मोबाइल नम्बर नही बताया। इस गवाह ने तो कहानी बदल दी है कि रूचि के फोन पर फोन आया है इसने भी केवल जीजा के द्वारा हत्या करने की बात बतायी है। हत्या को कोई केस ही नही है। इस गवाह ने खुद कहा कि मेरे फोन में फोन आया, मेरे फोन पर मारपीट की बात मृतिका ने बतायी, इस तरह से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी बातें– कि काजल व गुड्डी के फोन पर फोन आया इसी से प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी साबित होती है। प्रार्थी मृतका का ससुर है और वृद्ध है लगभग 60 वर्ष उसकी उम्र है, बीमार रहता है। उसके विरूद्ध कोई स्पष्ट कार्य आरोपित नही किया गया है जो आरोप लगाये गयें है वह जनरल है, विशिष्ट प्रकार का आरोप नही लगया गया। घटना वाले दिन मोबाइल पर जो बात कही जाती है उसका कोई

सी०डी०आर० नही है। मोबाइल पर बात करने की बात एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि मृतिका ने मारपीट की बात कही है। दहेज के लिए मारपीट करने की बात नही कही है। मारपीट करने वाली बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से झूठी साबित होती है क्योंकि मृतिका के गले में एक चोट के अलावा कोई दूसरी चोट नही पायी गयी है। पंचायतनामा में भी वर्णित चोटों में गले व कान पर नीला निशान पाया गया था, कोई अन्य जाहिरा चोट उसके शरीर पर नही पायी गयी है। किसी भी ससुरालीजन ने या प्रार्थी ने कोई न तो दहेज की मांग की न प्रताड़ित किया न मारापीटा न उसकी हत्या किया। प्रार्थी निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नही किया है। इस प्रकार जमानत दौरान मुकदमा स्वीकार किया जाये।

अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मॉग पूरी न होने के कारण उसकी हत्या कर दी गयी है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं जमानत प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर वादी मुकदमा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर प्रताड़ित करने तथा दहेज की मॉग पूरी न होने पर उसकी दहेज हत्या कर दिये जाने का आरोप है। अभियुक्त मृतका का ससुर है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध केसडायरी में पर्याप्त साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित किये गये है तथा कथित प्रताड़ना विषयक साक्षियों के बयान जिसमें विवेचक द्वारा वादी मुकदमा ओम प्रकाश, मृतका की मां श्रीमती गुड्डा देवी व अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया गया है जिसमें साक्षियों ने घटना का प्रथम दृष्टया समर्थन किया है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का तात्कालिक कारण Asphyxia Due to Ante Mortem Hanging अंकित है। उक्त रिपोर्ट व अभियोजन के अनुसार मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में उसके विवाह के सात वर्षो के भीतर हुई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना में कोई नवीन आधार दर्शित नहीं किया गया है। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जो अन्य आधार लिया गया है वह साक्ष्य का विषय है। मामला गम्भीर अपराध से सम्बन्धित है। थाना की

आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है जो जमानत पर छूटने के बाद गवाहो पर दबाव बनायेगा और साक्ष्यों को प्रभावित करेगा।

अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, केस डायरी में आये साक्ष्य, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुऐ न्यायालय की राय में मामलें के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **जुगराज सिंह** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–10.08.2026

(पूर्णिमा प्राँजल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–II
कौशाम्बी।
आई.डी.नं०–यू०पी० 1839